(5)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)
पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 10 / 2024 दायर दिनांक: 06.02.2024

उनवान

1. किशोरसिंह पि. मानसिंह जाति राजपूत नि. दोबडा तहसील रायपुर

प्रार्थी

बनाम

1. धीसूसिंह पि. निरभेसिंह जाति राजपूत नि. दोबडा तहसील
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री नीलकमल त्रिवेदी
अप्रार्थी सं. 1 :— एकतरफा
अप्रार्थी सं. 2 :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाक: 05.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि यह कि ग्राम दोबड़ा पटवार हल्का सेमलीखाम तह० रायपुर में खाता संख्या 72 का खसरा नं. 230 रकबा 0.9358 है० आराजी प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यो के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी में आने—जाने का रास्ता अप्रार्थी के खसरा नं. 231 की पूर्वी मेड़ पर होकर निकलता है क्योकि गांव दोबड़ा के आम रास्ते पर अप्रार्थी का खसरा नं. 231 है और इसके बाद प्रार्थी का खसरा नं. 230 है प्रार्थी के पास अपने खसरा नं. 230 में आने—जाने का कही भी वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है और अप्रार्थी प्रार्थी को उसकी आराजी में से निकलने नहीं देता है। इसलिए प्रार्थी डी. एल.सी. दर से अपने आने—जाने का 12 फीट चौड़ाई का रास्ता खसरा नं. 231 की पूर्वी व खसरा नं. 232 की पश्चिमी मेड़ से लेना चा[illegible] यह कि खसरा नं. 230 एवं खसरा नं. 231, 232 पूर्व में एक ही परि[illegible] के सदस्यो की आराजी थी। जिसमें से प्रार्थी ने खसरा नं. 230 का 1/2 हिस्सा खरीद

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

किया है अन्य खातेदारान तो आ–जा रहे है लेकिन अप्रार्थी प्रार्थी को उसकी खरीदशुदा आराजी पर नहीं निकलने दे रहा है और आये दिन लड़ाई–झगडे की नोबत आती है। इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना पड़ रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से अवधि मध्य उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नं. 231 की पूर्वी मेड पर 12 फीट चौड़ाई का रास्ता डी.एल.सी. दर पर कायम करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 08.01.2025 को अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. अप्रार्थी सं. 2 पैरोकार सरकार से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार पिडावा द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/2024/935 दिनांक 31.07.2024 मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ख्स.नं. 230 रकबा हेक्टर के मोके पर पहुंचे उक्त ख.नं. 230 में खातेदार किशोरसिंह पि. मानसिह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा.देह राजस्व रिकार्ड दर्ज है। खातेदार किशोरसिह पि. मानसिंह अपनी आराजी ख.नं. 230 में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए रास्ते हेतु 251 ए श्रीमान खण्ड अधिकारी महोदय के यहाँ वाद दायर किया है अतः उक्त प्रकरण की जांच में अवगत हुआ कि खसरा नं० 234 के उत्तरी कोने तक चालू रास्ता है जिस पर इंटर लॉकिंग का निर्माण हो रखा है आगे चलकर खसरा न 231 के खातेदार घीसूसिह पत्र निर्भयसिह जाति राजपूत नि. दोबडा के खसरा स० 231 की दक्षिणी मेर पर प्राथी किशोरसिंह का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। प्रार्थी किशोरसिंह को रास्ते हेतु खसरा स० 231 से 06 गटठे दक्षिण से उत्तर एवं 6 गटठे पश्चिम से पूर्व एवं ढेड गटठे चोड़ाई के रास्ते की जरूरत है जिस[illegible] है और जिसकी एवज में प्रार्थी किशोरसिह पुत्र मानसिंह [illegible] भूमि खसरा खनं. 230 की पश्चिमी मेर से लगभग 0.0126 है भूमि [illegible] घीसूसिह पिता निर्भयसिह को दिया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम दोबडा के खाता सं. 72, 74, 44 की जमाबंदी सं. 2073–76 की नकल, नक्शा ट्रेस दिनांक 26.11.2023 व दिनांक 11.12.2023 तथा खसरा गिरवादरी नकल प्रस्तुत की।

5. अभिभाषक प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम दोबडा प.म.सेमलीखाम स्थित प्रार्थी व उसके परिवार के खाते की आराजी ख.नं. 230 रकबा 0.9398 है. तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु मौके पर कोई भी कच्चा पक्का वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु ख.नं. 234 के उत्तरी कोने तक मौके पर इंटर लॉकिग सडक बनी हुई है। इससे आगे अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.नं. 231 की पूर्वी मेड से होते हुए ख.नं. 230 तक पहुँचने और कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु रास्ते की नितान्त आवश्यकता है। ख.नं. 233 व 687/233 के काश्तकार मेड के सहारे से प्रार्थी को आने जाने से नहीं रोकते है। केवल अप्रार्थी ही लडाई झगडा कर प्रार्थी को आने जाने से रोक रहा है। **आगे कथन किया कि ख. नं. 232 गे.मु.कुआं है जिससे होकर रास्ता कानूनी रूप से नहीं दिया जा सकता है।** यदि प्रार्थी को रास्ता नहीं दिया गया तो प्रार्थी का खेत पडत रह जावेगा और परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न होगी। प्रार्थी रास्ते हेतु दी जाने वाली भूमि का डीएलसी की दुगुनी दरो से भुगतान करने हेतु सहमत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ख.नं. 231 की पूर्वी मेड के सहारे 12 फीट चौडा रास्ता दिया जावे।

6. अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली अवलोकन व मनन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना जरूरी है:–

(i) रिकार्डेड व वैकल्पिक रास्ता नहीं होना :– तहसीलदार सायपुर की रास्ते बावत् तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 31.07.2024, ग्राम दोबडा के ख.नं. 233, 231, 232 एवं 230 आदि की जमाबंदी सं. 2073-76, प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा पेश खसरा नक्शा दिनांक 11.12.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की सहखाते एवं कब्जे की आराजी ख.नं. 230 तक पहूँच हेतु न तो कोई रिकार्डेड रास्ता है और न ही मौके पर कोई वैकल्पिक कच्चा/पक्का रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी कुछ समय से व्यक्तिगत निवेदन पर बडी मुश्किल से व्यवस्तार्थ किसी अन्य खातेदार के खेत से फसल बोना जाहिर होता है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बावजूद सूचना न्यायालय से अनुपस्थित रहा है और कोई जवाब व साक्ष्य भी पेश नहीं किया है। अतः साबित है कि प्रार्थी की आराजी पर पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता व वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

(ii) रास्ते की अति आवश्यकता होना– ग्राम दोबडा की आराजी ख.नं. 230 की जमाबंदी सं. 2073–76 के अवलोकन से जाहिर है कि प्राथी हिस्सा 1/2 का रिकार्डेड सहखातेदार है अर्थात प्रार्थी एक खातेदार टीनेन्ट है। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि उक्त आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता नहीं है और जो रास्ता ख.नं. 231 व 232 की मेड पर होकर कार्य व्यवस्तार्थ आते जाते है जिसे अप्रार्थी द्वारा लडाई झगडा कर बंद कर दिया गया है जिससे खेत पर विभिन्न कार्यो हेतु कृषि उपकरण लाने ले जाने व स्वयं के आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने से खेत के पडत रहने की संभावना होती है। प्रार्थी ने स्वयं कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा रास्ता बंद किये जाने के बाद वह अन्य पडौसी काश्तकारो से निवेदन कर बडी मुश्किल से खेत को बो रहे है। ख.नं. 234 की उत्तरी मेड तक इंटर लॉकिग सडक बनी हुई है और ख.नं. 233 व 687/233 के खातेदार मेड के सहारे से आने जाने से मना नहीं कर रहे है। तहसीलदार रायपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण की आराजी पर पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। अन्य कोई कच्चा/पक्का वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। ग्राम दोबडा के राजस्व नक्शे, वादग्रस्त आराजी के खसरा नक्शा व नजरी नक्शा के अवलोकन से भी साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी रास्ता या वैकल्पिक रास्ता नहीं है। **तहसीलदार रायपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.07.2024 में प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित बताया है।** यह सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(8)

अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। **अतः साबित होता है कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की नितान्त आवश्यकता है।**

(iii) सबसे लघुतम रास्ता होना:– प्रार्थी का कथन है कि ख.नं. 687/233 तक आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रार्थी की आराजी पर पहूॅच हेतु सबसे लघुत्तम रास्ता ख.नं. 232 से होकर होगा लेकिन ख.नं. 232 गे.मु.कुआं होने से कानूनन रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अतः ख.नं. 232 के अतिरिक्त ख.नं. 231 की पूर्वी मेड के सहारे दिये जाने वाला रास्ता लघुत्तम रास्ता होगा। तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ता (ख.नं. 231 की पूर्वी मेड के सहारे) की दक्षिण से उत्तर मे लम्बाई लगभग 6 गटठे एवं पूर्व से पश्चिम की चौडाई ढेड गटठा है जिसका कुल क्षेत्रफल 0.0126 है.। **अप्रार्थी सं. 1 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर कोई जवाब व साक्ष्य पेश नहीं किया है।** ग्राम दोबडा के ख.नं. 231, 232, 233, 230 आदि की जमाबंदी सं. 2075–76, प्रार्थी के नजरी नक्शा दिनांक 11.12.2023, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश ग्राम दोबडा का नजरी नक्शा दिनांक 23.07.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की आराजी ख.नं. 230 पर पहूॅच हेतु लघुत्तम रास्ता ख.नं. 231 की पूर्वी मेड से तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार होगा जिसका रकबा 0.0126 है. होगा। धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के अधीन लघुत्तम पहूॅच मार्ग दिये जाने के प्रावधान है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम पहूॅच मार्ग साबित होता है।

(iv) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान:–प्रार्थी अपनी आराजी ख0नं0 230 तक पहुंच हेतु अप्रार्थी सं. 1 की भूमि ख.नं. 231 में से रास्ते हेतु उपयोग आने वाली भूमि रकबा 0.0126 है. का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि पर कोई आपत्ति पेश नहीं की है।

7. धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के प्रावधानो का अवलम्बन किया जाना उचित है जो निम्नानुसार है –

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(9)

251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted. 39 Inserted by Notification no. F.2(24)vidhi/2/2010, year 2012, published on 18.01.12 (2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way. shall be deemed to have been extinguished and the la[illegible]e recorded as rasta in the revenue records. (3) The persons pe[illegible]ted to avail

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

और आये दिन लड़ाई–झगड़े की नौबत आती है। इसलिए प्रार्थी को यह
प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना पड़ रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.]

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 31.07.2024 के अधार पर ख.नं. 230 तक पहूँच हेतु ख.नं. 231 से होकर नये रास्ते के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। ग्राम दोबडा की आराजी ख.नं. 231 की पूर्वी मेड के सहारे तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर 6 गटठे, पश्चिम से पूर्व की ओर 6 गटठे की लम्बाई एवं ढेड गटठे की चौडाई का नवीन रास्ता जिसका रकबा 0.0126 है. वर्तमान डीएलसी दरो की दुगुनी राशि अप्रार्थी सं. 1 को भुगतान किये जाने पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिए जाते है। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:35 IST
Reason: SelfAttested

और आये दिन लड़ाई–झगड़े की नौबत आती है। इसलिए प्रार्थी को
प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना पड़ रहा है।

निरन्तर 2 पर——

Scanned with OKEN Scanner